

कार्यालय :- प्राचार्य, पलामू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मेदिनीनगर, पलामू।

पत्रांक ---/03

मेदिनीनगर, दिनांक ...12/09/2019

EXPRESSION OF INTEREST

पलामू मेडिकल कॉलेज पोखराहा, मेदिनीनगर के लिए छात्र-छात्राओं को चिकित्सा महाविद्यालय (पोखराहा) मेदिनीनगर से पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल (सदर अस्पताल) जाने-आने के लिए 32 Seated बस (Good running condition) की आवश्यकता है।

इस कार्य हेतु इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान/बस मालिक Expression of Interest बंद लिफाफा दिनांक 27.09.2019 के अपराह्न 5 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में हाथों-हाथ अथवा निबंधित डाक से प्राप्त किया जायेगा।

Expression of Interest पर विचार दिनांक 28.09.2019 को दोपहर 1 बजे किया जायेगा। उस समय इच्छुक व्यक्ति/बस मालिक स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकेंगे।

➤ Expression of Interest वित्तीय खण्ड एवं तकनीकी खण्ड अलग-अलग बन्द लिफाफा में जमा करेंगे

तकनीकी खण्ड

1. दर निर्धारण के लिए अभिव्यक्ति की इच्छा के लिए प्राचार्य, पलामू मेडिकल कॉलेज, पलामू भुगतये डालटनगंज के नाम से 25000/- (पचीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
2. बस मालिक का पैन कार्ड का स्वयं हस्ताक्षरित प्रति।
3. बस का रजिस्ट्रेशन नम्बर का स्वयं हस्ताक्षरित प्रति।
4. बस का Fitness प्रमाण पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत)।
5. बस का अद्यतन इन्स्योरेन्स की प्रति स्वयं हस्ताक्षरित
6. अद्यतन Road Tax Receipt
7. अद्यतन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र।
8. चालक का Driving Licence
9. चालक का आधार नम्बर एवं पुरा पता।
10. कंपनी काली सूची में नहीं होने का शपथ पत्र (नोटरी पब्लिक) द्वारा निर्गत।
11. बस का परमिट उपलब्ध कराना आवश्यक है।

वित्तीय खण्ड

32 Seated बस का :-

- प्रतिदिन परिचालन का बस भाड़ा
- एक माह परिचालन का बस भाड़ा

- प्रति लिटर डीजल में कि० मी० की दूरी दर्शाना होगा जो एम०बी०आई द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।

शर्तें:-

- बस के परिचालन हेतु चालक एवं खलासी का मानदेय आदि बस किराया में ही सम्महित रहेंगा।
- बस का **Condition** सही रहने पर ही उनका दर पर विचार किया जायेगा।
- 15 दिन सेवा देने के उपरान्त सेवा संतोषजनक रहने पर ही अवधि विस्तार किया जायेगा।
- चालक अथवा खलासी द्वारा छात्र-छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- दर निर्धारित होने पर कार्य छोड़ने हेतु 15 दिन पूर्व सूचना देना होगा। अन्यथा अग्रघन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
- बस निदेशानुसार कॉलेज होस्टल से अस्पताल (संदर अस्पताल) एवं आवश्यकतानुसार अन्य जगहों पर परिचालन किया जायेगा।
- बस हेतु डीजल की आपूर्ति कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
- चालक, खलासी को किसी भी तरह के राशि का भुगतान कार्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
- तकनीकी खण्ड का कागजात क्रमवार समर्पित करेंगे।
- सरकार द्वारा निर्धारित दर 2250/- (दो हजार दो सौ पचास) रू० प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, जो किसी भी परिस्थिति में इससे ज्यादा दर स्वीकार नहीं होगा।
- बिना कोई कारण बतायें Expression of Interest को स्थगित/अस्वीकृत करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेंगा जिसके विरुद्ध न्यायलय में वाद दायर नहीं किया जा सकता है।

Rayan
18.9.19

प्राचार्य

पलामू मेडिकल कॉलेज,
पलामू
18/9/19